Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 225–2022/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, DECEMBER 23, 2022 (PAUSA 2, 1944 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 23rd December, 2022

No. 36-HLA of 2022/96/23920.— The Haryana State Tube-Well (Repeal) Bill, 2022, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:-

Bill No. 36-HLA of 2022

THE HARYANA STATE TUBE-WELL (REPEAL) BILL, 2022

A

BILL

to repeal the Haryana State Tube-Well Act, 1954.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Haryana State Tube-Well (Repeal) Act, 2022.

Repeal of Punjab Act 21 of 1954.

2. The Haryana State Tube-Well Act, 1954, is hereby repealed.

Savings.

3. The repeal by this Act shall not affect any other enactment in which the repealed enactment has been applied, incorporated or referred to;

and this Act shall not affect the validity, invalidity, effect or consequences of anything already done or suffered, or any right, title, obligation or liability already acquired, accrued or incurred, or any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of or from any debt, penalty, obligation, liability, claim or demand, or any indemnity already granted, or the proof of any past act or thing;

nor shall this Act affect any principle or rule of law, or established jurisdiction, form or course of pleading, practice or procedure, or existing usage, custom, privilege, restriction, exemption, office or appointment, notwithstanding that the same respectively may have been in any manner affirmed or recognised or derived by, in or from the Act hereby repealed;

nor shall the repeal of the Act of any enactment revive or restore any jurisdiction, office, custom, liability, right, title, privilege, restriction, exemption, usage, practice, procedure or other matter or thing not now existing or in force.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Repeal of enactments under the Punjab State Tube-Well Act 1954 specified in the Schedule which have been ceased to be in force or have become obsolete or the retention whereof as separate, independent and distinct Act is unnecessary, then, such enactments are to be repealed. The enactments in reality have lost its meaning but are still shown on the Statute-books. The law has become irrelevant and dysfunctional.

The Haryana State Minor Irrigation & Tube-well Corporation (HSMITC) which was governed by the Punjab State Tube-Well Act, 1954 has already been abolished in 2002 and at present, there is no Tube-Well Corporation working in the State of Haryana. The State owned tube-wells have already been auctioned in the State of Haryana. Tube well, if any, in State of Haryana are installed by the Departments, particularly Agricultural Department/Public Health Engineering Departments for their own Farms or domestic water supply and those are governed and regulated by the rules of respective departments and as such, this Act - The Punjab State Tube-Well Act, 1954 is not applicable to those tube wells.

Further, Haryana Water Resources (Conservation, Regulation and Management) Authority has been established for conservation, management and regulation of water resources i.e. ground water and surface water within the State of Haryana for ensuring the judicious, equitable and sustainable utilization, management, regulation thereof, fix the rates for use of water and for matters connected therewith or incidental thereto under The Haryana Water Resources (Conservation, Regulation And Management) Authority Act, 2020.

The Haryana Statute Review Committee under the Chairmanship of Mr. Justice Iqbal Singh (Retd.) constituted by State Government submitted its report in which it has been recommended to repeal various Act. This Act also figures in that list.

Hence, the proposed, The Haryana State Tube-well (Repeal) Bill, 2022.

MANOHAR LAL,
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 23rd December, 2022.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2022 का विधेयक संख्या 36–एच०एल०ए०

हरियाणा राज्य नलकूप (निरसन) विधेयक, 2022
हरियाणा राज्य नलकूप अधिनियम, 1954
को निरसित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम हरियाणा राज्य नलकूप (निरसन) अधिनियम, 2022, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा राज्य नलकूप अधिनियम, 1954, इसके द्वारा, निरसित किया जाता है। 1954 के पंजाब अधिनियम 21 का निरसन।

3. इस अधिनियम द्वारा निरसन, किसी अन्य अधिनियमिति को प्रभावित नहीं करेगा, जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू, निगमित या निर्दिष्ट की गई है; व्यावृत्ति।

और यह अधिनियम पहले से की गई या सहन की गई किसी बात की वैधता, अवैधता, प्रभाव या परिणामों या पहले से अर्जित, प्रोदभूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व, या उनके सम्बन्ध में किसी उपचार या कार्यवाही, या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग की अथवा से किसी निर्मुक्ति या उन्मोचन, या पहले से दी गई किसी क्षतिपूर्ति, या किसी पूर्व कार्य या बात के सबूत को प्रभावित नहीं करेगा;

और न ही यह अधिनियम विधि के किसी सिद्धान्त या नियम, या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन, व्यवहार या प्रक्रिया के रूप या क्रम, या विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति को प्रभावित करेगा, इस बात के होते हुए भी कि वे क्रमशः इसके द्वारा निरसित अधिनियम द्वारा, उसके या उससे किसी भी रीति में अभिपुष्ट किए गए हों या मान्यता दी गई हो या व्युत्पन्न हुए हों;

और न ही किसी अधिनियमिति के अधिनियम का निरसन, किसी अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, रिवाज, प्रक्रिया या अन्य मामले या बात को पुनरूजीवित या प्रत्यावर्तित करेगा, जो अब प्रचलित या लागू नहीं है।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

अनुसूची में विनिर्दिष्ट पंजाब राज्य नलकूप अधिनियम, 1954 के अधीन अधिनियमितियों का निरसन जो लागू नहीं रह गया है या अप्रचलित हो गया है या पृथक, स्वतन्त्र तथा सुभित्र अधिनियमों के रूप में उनका प्रतिधारण अनावश्यक हो, तो, ऐसे अधिनियमितियों को निरसित किया जाता है। अधिनियमितियों ने वास्तविकता में अपना आशय खो दिया है किन्तु संविधि–संग्रह में अभी तक दर्शाया जा रहा है। विधियां असंगत तथा दुष्क्रियात्मक हो गया है।

हरियाणा राज्य लघु सिंचाई तथा नलकूप निगम (एच एस एम आई टी सी) जोकि पंजाब राज्य नलकूप अधिनियम, 1954 द्वारा शासित था, वर्ष 2002 में पहले ही समाप्त किया जा चुका है तथा इस समय हरियाणा राज्य में कोई भी नलकूप निगम कार्यरत नहीं है। हरियाणा राज्य में राज्य के स्वामित्वाधीन नलकूप पहले ही नीलाम कर दिए गए हैं। हरियाणा राज्य में नलकूप, यदि कोई हो, विभागों द्वारा विशेष रूप से कृषि विभाग/जन स्वास्थय अभियांत्रिकी विभागों द्वारा उनके अपने फार्मों या घरेलू जल आपूर्ति के लिए लगाए जाते है तथा उन्हें संबंधित विभागों के नियमों द्वारा शासित तथा विनियमित किया जाता है तथा इस प्रकार यह अधिनियम–हरियाणा राज्य नलकूप अधिनियम, 1954 उन नलकूपों पर लागू नहीं होता है।

इसके अतिरिक्त, हरियाणा जल संशाधन (संरक्षण, विनियमन तथा प्रबन्धन) प्राधिकरण जल संसाधनों के संरक्षण, प्रबन्धन तथा विनियमन के लिए अर्थात् हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन तथा प्रबन्धन) प्राधिकरण अधिनियम, 2020 के अधीन हरियाणा राज्य में भू–जल तथा सतह जल का विवेकपूर्ण, उचित तथा सतत योग्य उपयोग, प्रबन्धन, विनियमन सुनिश्चित करने, जल के प्रयोग के लिए दरें नियम करने तथा उससे सम्बन्धित या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए स्थापित किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा गठित न्यायमूर्ति श्रीमान ईकबाल सिंह (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता के अधीन हरियाणा कानून समीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें समिति ने विभिन्न अधिनियमों के निरसन की सिफारिश की है। यह अधिनियम भी उस सूची में शामिल हैं।

अतः, प्रस्तावित, हरियाणा राज्य नलकूप (निरसन) विधेयक, 2022।

मनोहर लाल,
मुख्यमंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 23 दिसम्बर, 2022.

आर. के. नांदल,
सचिव।

10076—H.V.S.—H.G.P. Pkl.